कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 4782 / 14-1मैनपुरी(24596 / 2017),आगरा, दिनांक, 16, अप्रैल, 2018.

सेवा में.

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

Proposal forest land diversion of protected forest for strengthening and widening of NH-91 (Kalyanpur to Naviganj Section) from 229.000KM to 289.00KM having extent 97.896 ha. with removal of 11,377 trees-Reg.

संदर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या 8बी/यू०पी0/06/13/2018/एफ0सी0/01 दिनांक 02.04.2018 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 2831/मैनपुरी/24596/2017 दिनांक 04.04.2018 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी का 2608/14—1 दिनांक 15.04.2018

महोदय.

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है :-

S. No.	Comments	Reply
1	Compliance of conditions imposed by MoEF&CC vide final approval F. No. 8-16/2012-FC dated 09.05.2013 for NH-91, was not done. REC expressed its displeasure over suppression of this vital information in part I of the proposal by the user agency. Compliance of condition imposed vide above mentioned letter is to be ensured.	(b) Brief Note of Project,
2	Calculation of proposed forest land diversion (Land Schedule) shall incorporate extent of fresh diversion and re-diversions (like of retail outlet, OFC cable etc.) clearly in the proposal. Essential documents related to re-diversion shall be furnished. Extent of fresh diversion is to be finalized duly deducting re-diversion area.	received. (* some NOC will be submit before REC)
3	Overlap in enumeration of trees as per approval of 2013 and present proposal shall be removed duly User Agency with furnish details of administrative approval of the proposal.	The undertaking given by concern DFO, "no any balance trees stand on site for falling" according to the 2 lane with paved shoulder project of NH-91. Copy Enclose
4	User Agency will furnish details of administrative approval of the proposal.	(Annexure-4) Copy of Administrative Approval is attached.

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी से प्राप्त प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

मवदाय,

वन सैरक्षक, अस्त्ररा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

समदिनांकित ।

1— प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके सन्दर्भित पत्र के कम

2— प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 47 एवं 48 ड्रीम सिटी कालोनी (बाल जीवन घुट्टी के सामने) जी०टी० रोड सारसौल, अलीगढ़—202001 (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।